

“बिजेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. फिलाई, दिनांक 30-5-2001।”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्णा/सी.ओ./रायपुर 17/2002।”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2005—श्रावण 28, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्बाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भोपा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रबंध समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री दी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. (सीजी : 1978), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भी नियुक्त किया जाता है।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक एक 1-51/2004/42.—राज्य शासन, चिकित्सा आयुर्वेद, इंजीनियरिंग तथा कृषि महाविद्यालयों में तथा पॉलीटेक्निक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षाओं या अन्य परीक्षा जिसे इस मण्डल के थेट्राधिकार के लिए अधिकृत किया जावे के आयोजन एवं तत्संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था करने के लिए एतद्वारा "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" का गठन करता है।

2. उपर्युक्त मण्डल में अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। इसके साथ ही आवश्यक संख्या में सदस्यों/पदेन सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश भी पृथक से जारी किए जायेंगे।

3. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल राज्य शासन के सचिवालयीन विभाग शिक्षा के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति प्रशासनकीय विभाग के अधीन कार्य करेगा। राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह मण्डल को अपने कार्य संचालन के संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सके। राज्य शासन को यह अधिकार भी होगा कि वह मण्डल के कार्य संचालन के लिए नियम बना सके।
4. मण्डल स्वतः एक इकोई होगा और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने तथा धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा, मण्डल अपने नाम से बाद प्रस्तुत कर सकेगा और इसी नाम से उसके विरुद्ध बाद प्रस्तुत किये जावेंगे।
5. मण्डल द्वारा किये गये अथवा करने से छोड़ दिये गये किसी कार्य के लिए राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा।
6. मण्डल अपने नाम का खाता खोलेगा। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन से बंटवारे में प्राप्त सम्पदा एवं दायित्व मण्डल को हस्तान्तरित हो जावेंगे।

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005

क्रमांक एफ 1-51/2004/42.—चिकित्सा, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग तथा कृषि महाविद्यालयों में तथा पॉलीटेक्निक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षाओं या अन्य परीक्षा, जिसके लिये राज्य शासन द्वारा अधिकृत किया जाये, के आयोजन एवं तत्संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही एवं व्यवस्था करने के लिये समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-7-2005 द्वारा “छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल” का गठन किया जा चुका है।

2. उपर्युक्त मण्डल में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे :—

(1)	✓ अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल	अध्यक्ष
(2)	✓ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
(3)	✓ सचिव, वित्त एवं योजना विभाग	सदस्य
(4)	✓ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल	सदस्य
(5)	✓ संचालक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
(6)	✓ संचालक, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
(7)	✓ संचालक, कृषि	सदस्य
(8)	✓ डीन, मेडिकल कालेज, रायपुर	सदस्य
(9)	✓ डीन, कृषि महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(10)	✓ प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य
(11)	✓ प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	सदस्य
(12)	✓ प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग	सदस्य
(13)	✓ डीन, आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर	सदस्य

3. छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के गठन आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित होने वाली पी.ई.टी. एवं पी.एम.टी. आदि परीक्षायें समाप्त हो जायेंगी। “छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल” चिकित्सा, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, कृषि महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक्स में प्रवेश पूर्व परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा (जिसे इस मण्डल के क्षेत्राधिकार के लिये अधिकृत किया जायेगा) को सम्पन्न करने की संपूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन करेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. व्ही. प्रसाद, सचिव।

(8)

१५८

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 1-51 / 2004 / 42
प्रति,

रायपुर, दिनांक ३०/१२/2005

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
रायपुर।

विषय :- छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का गठन।

राज्य शासन द्वारा "छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" के कार्य संचालन के लिये निम्नानुसार पद निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पदनाम	संख्या	वेतनमान
01-	अध्यक्ष	01(एक)	संवर्ग वेतनमान
02-	नियंत्रक	01(एक)	16400— 20000 (प्रतिनियुक्ति)
03-	संयुक्त नियंत्रक	01(एक)	12000— 16500 (प्रतिनियुक्ति)
04-	वित्त अधिकारी	01(एक)	12000— 16500 (प्रतिनियुक्ति)
05-	प्रोग्रामर	01(एक)	8000— 13500 विभागीय/प्रतिनियुक्ति
06-	सहायक नियंत्रक	02(दो)	8000— 13500 विभागीय/प्रतिनियुक्ति
07-	अधीक्षक	01(एक)	6500— 10500
08-	सहायक अधीक्षक	01(एक)	5500— 9000
09-	निज सहायक	02(दो)	5500— 9000
10-	शीघ्रलेखक	02(दो)	4500— 7000
11-	सहायक वर्ग— 01	02(दो)	4500— 7000
12-	सहायक वर्ग— 02	04(चार)	4000— 6000
13-	डाटा एण्ड्री आपरेटर	04(चार)	3500— 5200
14-	सहायक वर्ग— 03	06(छ)	3050— 4590
15-	वाहन चालक	02(दो)	2610— 3540
16-	दफ्तरी	01(एक)	2610— 3540
17-	मृत्यु	06(छ)	2550— 3200
18-	चौकीदार	01(एक)	कलेक्टर दर
19-	स्वीपर	01(एक)	अंशकालीन

कुल पद - 40 (चालीस) पद

निरन्तर.....2/-

(१८)

11/2/1

- 2/- मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से विभाजन में राशि प्राप्त हो चुकी है।
अतः इसकी स्थापना हेतु बजट में प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
3/- यह सहमति वित्त विभाग के धूओ० क्रमांक 292/772/ ब-३/ चार/ 2005,
दिनांक 25 मई, 2005 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ ए० जौही प्रसाद
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
रायपुर, दिनांक 30/7/2005

पृष्ठमांक एफ 1-51/2004/42,
प्रतिलिपि :-

- 01-- पिशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
02-- महालेखाकार, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
03-- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, रायपुर।
04-- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विकित्सा/ कृषि/ सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर।
05-- अतिरिक्त संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
06-- जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु अप्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग